अपर उपायुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला–खरसावाँ।

आदेश फलक

जिला– सरायकेला–खरसावाँ शिकायत वाद सं0– 17203210700002

विषय – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के दायर अपील की सुनवाई के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
08.03.21	अभिलेख का संधारण आवेदक मो0 सुल्तान अहमद, पो0– कपाली, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा नया राशन कार्ड बनाने के संबंध में शिकायत के आलोक में किया गया है। अतः उक्त शिकायत पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला– खरसावाँ को हस्तगत कराते हुये निदेशित करें कि शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.03.21 तक उपलब्ध करायें। अभिलेख दिनांक 22-03-21 को उपस्थापित करें। 08/03/2021 अपर उपायुक्त–सह– जिला शिकायत निवारण पदा0, सरायकेला–खरसावाँ।	
25.03.21	अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ने पत्रांक–474/आ0, दिनांक–24.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा राशन कार्ड हेतु ऑनलाईन पावती उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऑनलाईन पावती प्रति उपलब्ध कराने हेतु शिकायतकर्त्ता के दूरभाष पर कॉल किया गया परंतु शिकायतकर्त्ता द्वारा रिसिव नहीं किया गया। उक्त के संबंध में पुनः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से भौतिक रूप से जांच करवाकर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन दिनांक– 30.03.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को पत्र दें। अभिलेख दिनांक 30.03.2021 को उपस्थापित करें। लेखापित। अपर उपायुक्त–सह– जिला शिकायत निवारण पदा0, सरायकेला–खरसावाँ। 25/3/21 अपर उपायुक्त–सह– जिला शिकायत निवारण पदा0 सरायकेला–खरसावाँ।	

30-03-21

अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ ने पत्रांक–496/आ0, दिनांक–26.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका Sultan Ahmad के नाम पर राशन कार्ड सं0–202800443097 निर्गत है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्त्ता के नाम से राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है।

अतः शिकायतकर्त्ता को सूचित करें। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित।

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदा0,
सरायकेला–खरसावॉ।

30/3/21

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदा0
सरायकेला–खरसावॉ।